

इस साल गर्ल चाइल्ड के लिए पॉइंट नहीं दे रहे स्कूल

Katyayani.Upreti@timesgroup.com

■ नई दिल्ली : नर्सरी एडमिशन में गर्ल चाइल्ड को पॉइंट है या नहीं? इस सवाल से पैरेंट्स ही नहीं बल्कि स्कूल भी परेशान हैं। शिक्षा निदेशालय ने क्राइटेरिया को लेकर अपनी गाइडलाइंस इतनी उलझन भरी बनाई है कि आम ईसान का एक नजर में इसे समझना मुमकिन नहीं। निदेशालय ने गाइडलाइंस के अंदर बैन क्राइटेरिया की तीन लिस्ट दी हैं और साथ ही कोर्ट के कुछ पुराने फैसलों का हवाला दिया है। मगर गाइडलाइंस के अंदर लागू होने वाली फाइनेल लिस्ट साफ़तौर पर नहीं दी गई है। इस कन्फ्यूजन में कुछ स्कूलों ने इस सेशन में गर्ल चाइल्ड के पॉइंट हटा दिए हैं। जबकि पिछले साल उन्होंने पैरेंट्स को

लेकिन मिल सकते हैं पॉइंट...

हालांकि, एजुकेशन एक्टिविस्ट खगेश झा का कहना है कि गर्ल चाइल्ड को पॉइंट दिए जा सकते हैं, क्योंकि कोर्ट ने 4 फरवरी 2016 को प्राइवेट स्कूलों के एंटराज पर 12 पॉइंट पर एडमिशन देने की इजाजत दे दी थी, इनमें गर्ल चाइल्ड के साथ साथ पैरेंट्स के प्रमाणित रिकॉर्ड, ट्रांसपोर्ट रूट भी शामिल हैं। इससे पहले शिक्षा निदेशालय के 62 क्राइटेरिया में रोक लगाई थी।

इसका फायदा दिया था। वहीं, एजुकेशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाई कोर्ट ने शिक्षा निदेशालय के बैन क्राइटेरिया में से गर्ल चाइल्ड के बैन हटा दिया था।

इस साल कई स्कूलों ने गर्ल चाइल्ड के लिए दिए जा रहे पॉइंट अपने 100 पॉइंट सिस्टम से हटाए हैं। सिंगडेल्स पूसा रोड ने पिछले साल इसे 3 पॉइंट दिए थे, एवरग्रीन सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल-वसुंधरा एनक्लेव ने 15 पॉइंट दिए थे मगर इस साल इन स्कूलों ने गर्ल चाइल्ड को पॉइंट नहीं दिए हैं। कुछ प्राइवेट स्कूलों का कहना है कि शिक्षा निदेशालय ने अपनी वेबसाइट में जिन 62 पॉइंट पर एडमिशन ना देने की बात कही है उसमें एक पॉइंट 'जेंडर' है, यानी जेंडर के आधार पर एडमिशन नहीं दिया जा सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह गलत है। पैरेंट्स को गाइडलाइंस की आखिरी में जो 50 बैन क्राइटेरिया का जो टेबल है उसे पढ़ना चाहिए क्योंकि इस बैन लिस्ट में जेंडर हट चुका है।

'ट्रांसपोर्ट में ना भी हों, तब भी मिलेंगे नेबरहुड पॉइंट'


Sher Singh Saini

Q अगर घर से दूरी कम हो, मगर ट्रांसपोर्ट रूट में ना आएँ, तो क्या पॉइंट नहीं मिलेंगे? - राशि
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको नेबरहुड पॉइंट मिलेंगे।

Q मेरी बेटी की जन्मतिथि 8 फरवरी 2013 है। क्या उसका एडमिशन पहली क्लास में हो सकता है? वो 8 फरवरी 2019 में 6 साल की हो जाएगी। - सोनिया नागपाल
हां एडमिशन हो सकता है। नर्सरी के साथ साथ अभी केजी और क्लास 1 के लिए भी एडमिशन हो रहे हैं, आप स्कूलों में अप्लाई कर सकते हैं।

Q मेरी बेटी की जन्मतिथि 31 मार्च 2012 है। क्या उसका एडमिशन क्लास 1 में हो सकता है? मैं पिछले चार साल से कोशिश कर रहा हूँ मगर अब तक एडमिशन नहीं हो पाया। - राजेश डाबला

नहीं, आपका बच्चा क्लास 1 के लिए बड़ा है। पिछले चार साल में जिस स्कूल से आपने उसको एजुकेशन दी है, उसी में जारी रखें। साथ ही, अपने पसंद के स्कूलों में खाली सीटों पर एडमिशन के लिए कोशिश करते रहें। अगर आप इंडब्ल्यूएस या डीजी कैटेगरी से हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं। पिछले साल इन कैटेगरी के लिए नर्सरी के लिए 3 से 5, केजी के लिए 4 से 6 और क्लास 1



नर्सरी एक्सपर्ट



रुमा पाटिल, प्रिंसिपल, एम एम पब्लिक स्कूल, पीतमपुरा

के लिए 5 से 7 तक (31 मार्च तक) एज लिमिट थी। इस बार की गाइडलाइंस

जब आएंगी, तो आप चेक कर सकते हैं।

Q नर्सरी एडमिशन में जनरल कैटेगरी से क्या मतलब है? इंडब्ल्यूएस के लिए क्या प्रोसेस है?

- रवि कुमार

अगर आपको इनकम 1 लाख रुपये से ज्यादा है, तो आप जनरल कैटेगरी में आएंगे। दूसरी ओर इससे कम इनकम वाले लोग इंडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। इंडब्ल्यूएस के साथ साथ डिस्पेंडवाजिड ग्रुप के अलावा से ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। शिक्षा निदेशालय कंप्यूटराइज्ड डॉ के जरिए फ्री सीट के लिए प्राइवेट स्कूल अलॉट करता है।

स्कूल क्राइटेरिया

■ समरविले स्कूल, वसुंधरा एनक्लेव
क्रिश्चन 50 पॉइंट
सिबलिंग/स्टाफ 20 पॉइंट
डिस्टेंस 30 पॉइंट

■ एमएम पब्लिक स्कूल, पीतमपुरा
नेबरहुड 50 पॉइंट
गर्ल चाइल्ड 20 पॉइंट
सिबलिंग 10 पॉइंट
अल्मनाई 10 पॉइंट
फर्स्ट बॉन चाइल्ड 10 पॉइंट

■ वीएसपीके इंटरनेशनल स्कूल, रोहिणी
नेबरहुड 30 पॉइंट
सिबलिंग 20 पॉइंट

Q स्कूल डिस्टेंस कैसे नापते हैं? मेरे घर से अगर मेरा पसंदीदा स्कूल दूर है तो एडमिशन कैसे करावाऊं? - शैलेश

यह दूरी रेडियस डिस्टेंस है। गूगल मैप के जरिए स्कूल इसे नापते हैं। आप अपने पड़ोस के स्कूलों के साथ पसंद के दूर स्कूल में भी अप्लाई कर सकते हैं, हो सकता है डिस्टेंस के अलग अलग पैमाने के तहत आपका चांस आ जाए।

Q अगर स्कूल पैरेंट्स की परफॉर्मैस के लिए पॉइंट दे रहा है, तो क्या यह सही है? - नकुल नदी, इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं है।